

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 1979/कार्तिक 9, 1901
No. 212] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/ KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या-54 आई. टी. सो. (पी. एन.)/79

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

विषय :—स्वर्ण-आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना ।

मिथिल संख्या 12/4/78-ई. पी. सो.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 50 आई.टी.सी. (पी.एन.)/79 दिनांक 30 मितम्बर, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि अक्टूबर, 1979 मास के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बंचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम पर किमी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 1100 रुपए होगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है कि नवम्बर, 1979 मास के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपयुक्त योजना के अन्तर्गत रिहाई आदेश धारकों को जिस कीमत पर सोना बचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 1100 रुपये (ग्यारह सौ रुपये मात्र) होगी।

सी. वेकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 54-ITC(PN)/79

New Delhi, the 31st October, 1979

Subject.—Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

Issued from File No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 50-ITC(PN)/79 dated the 30th September, 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India during the month of October, 1979 would be Rs. 1100 per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India during the month of November, 1979 would be Rs. 1100 (Rupees eleven hundred only) per 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports